BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा

मुख्यालय–प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in , Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र खगड़िया को इस कार्यालय पत्रांक–561 दिनांक–02.04.2011 के द्वारा मेज कलस्टर, एग्री लॉजिस्टिक एवं स्टार्च प्रोडक्टस उद्योग की स्थापना हेतु 98.30 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। इकाई द्वारा प्रथम किस्त की राशि भुगतान किये जाने के उपरान्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1191 दिनांक–08.10.2011 द्वारा आवंटित भूमि का भौतिक स्वामित्व प्रदान किया गया।

बियाडा के निदेशक पर्षद की 43वीं बैठक दिनांक 23.08.13 में लिये गये निर्णय के आलोक में प्राधिकार के पत्रांक–561 दिनांक–02.04.11 में संशोधन करते हुये 98.3 एकड़ को दो भागो में विखण्डित कर 28.30 एकड़ जमीन सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्रापोजेक्टस प्रा० लि० के नाम से तथा शेष 70 एकड़ सर्वश्री प्रिस्टाईन मेगा फुड पार्क प्रा० लि० के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इकाई के निरीक्षण दिनांक–22.12.2017 के क्रम में सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा० लि० में पाया गया कि आवंटित भूमि पर मात्र बाहरी चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। इकाई के पक्ष में लीज डीड निबंधित कराया गया है। सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा० लि० द्वारा आवंटित स्थल पर किसी भी तरह के औद्योगिक गतिविधि नहीं करने एवं बकाये राशि के भुगतान नहीं किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक–681 दिनांक–28.04.17, पत्रांक–1286 दिनांक–16.10.2017, पत्रांक–1337 दिनांक–10.11.17 के द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। इकाई को कार्यालय पत्रांक–1112 दिनांक–20.12.2018 के द्वारा अंतिम नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका उत्तर इकाई/उद्यमी द्वारा नहीं दिया गया। इकाई को भूमि आवंटन के आठ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने से स्पष्ट होता है कि इकाई को उद्योग स्थापित करने में कोई अभिरूचि नहीं है। इकाई मात्र भूमि को अपने कब्जे में रखना चाहती है।

अतः उपरोक्त स्थिति में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a) एवं 6(2)(b) बियाडा (संशोधन) अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, खगड़िया को आवंटित भू–खंड संख्या–A रकवा 28.30 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द किया जाता है एवं भूमि मद में जमा राशि जब्त की जाती है। रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश दिनांक 05.03.2019

ह०/–
कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक–290 दिनांक 7/3/2019

प्रतिलिपिः–श्री आनंद झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, खगड़ीया) तीसरा तल्ला, विंग बी, कॉमर्शियल प्लाजा, रॉडीसन ब्लू, महीपालपुर, नई दिल्ली, पिन–110037/लेखा शाखा, बियाडा, दरभंगा/अभियंता, बियाडा, दरभंगा/क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक विकास केन्द्र, खगड़ीया/कार्यकारी निदेशक, बियाडा मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/19

कार्यकारी निदेशक